अनिवार्य संलग्न 1.6

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

Dated---15-9-2020

No--- 694/XXIV-ALC-II

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.175**hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Chamba (T.G)**(name of user agency) for **Construction of Laluri Koti Mehro ki Majkhet to moter road Manjkhet to Moriyana Moter road** (purpose for diversion of forest land) in**Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction Manjket village (s) in **kandisour** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.175 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: **As above.**

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप–30.1

अनिवार्य सलग्न 1.6 (73) (70) (72)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Mangesh Ghildiyal** I.A.S deputy commissioner **Tehri Garhwal** on dated ...15-9-2020... at time 15-9-2020 at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring 3.175 hect for the **Construction of Laluri Koti Mehro Ki Manjket Motor Road Manjket to Moriyana Motar Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Chamba (T.G)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...न.टि. टिहरी

Dated:..15-9-2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल

अनिवार्य सलंग्न 1.6
(नौ) (74)

Encl.-01

It is further certified that – Construcation of Laluri Koti Mehro ki Manjket Moter road Manjket to Moriyana Moter road Length 4.650Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.175 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure .	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
जयबीर सिंह रावत
एडवोकेट
सदस्य, जिला पचायत
बन्स्यूल थौलधार, (टिहरी गढवाल)

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature
(Full name and official seal of the District collector)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

अनिवार्य संलग्न 1:6

प्रारुप–30.2

Name of the project –:– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अ लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कन्डीसौड।

पत्रांक– कैम्प टिहरी

दिनांक– 22.06.20

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थौलधार।

उपखण्ड **कण्डीसौड परिक्षेत्र** के अन्तगर्त लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से **मोरियाण तक** मोटर मार्ग का नव निर्माण |(**3.175**है0 आरक्षित वन भूमि, **0.330** है0 नाप भूमि, अर्थात कुल **3.175** है0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कण्डीसौड**) की दिनांक 22.06.20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री उपजिलाधिकारी **टिहरी** –अध्यक्ष
2– श्री रमेश चन्द्र टम्टा उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी –सदस्य
3– श्री मनोज कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी थौलधार –सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र **मंजखेत** –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री **घोषणा** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक मोटर मार्ग वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **टिहरी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कण्डीसौड** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत **लालुरी कोटी मैहरो की** मंजखेत **मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु **3.175** है0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग चम्बा**(प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– टिहरी जिनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **टिहरी गढ़वाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–टिहरी जनपद टिहरी गढवाल।

अनिवार्य संलग्न 11 76

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्बा/कण्डीसौड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्बा।

आज दिनांक 22.06.2020 को विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मजखेत से मोरियाणा मोटर मार्ग को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 3.175 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी टिहरी की अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

कम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री फिंचाराम चौहान	उप जिलाधिकारी, ~~कण्डीसौड~~ टिहरी	उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।
2	श्री रमेश चन्द्र रवाड़्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी	उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3	श्री मनीषा कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, थौलधार।	सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड थौलधार जिला—टिहरी गढ़वाल
4	श्री गोपाल चमोली	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य	सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड–3 क्यारी नगुण थौलधार टि0ग0
5	श्री ~~[illegible]~~ जयबीर सिंह रावत	सदस्य जिला पचायत बन्स्यूल थौलधार टिहरी गढ़वाल.	जयबीर सिंह रावत एडवोकेट सदस्य, जिला पंचायत बन्स्यूल थौलधार, (टिहरी गढ़वाल)

प्रारुप–30.4

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मेरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 10/06/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत मंजखेत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विजय सिंह	विजयसिंह
2	फूल दास	फूलदास
3	चतर सिंह	चतरसिंह
4	चन्दन सिंह	चन्दनसिंह
5	उत्तम सिंह	उत्तम सिंह
6	महावीर सिंह	महवीर सिंह
7	अब्बल सिंह	अब्बल सिंह
8	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
9	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
10	कमल सिंह	कमलसिंह

प्रारुप–30.3 अनिवार्य संलग्न 1:6

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **मंजखेत**

तहसील **कन्डीसौड**, जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु 3.175 आरक्षित वन भूमि एंव राजस्व भूमि शून्य अर्थात कुल 3.175 है० वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मंजखेत** द्वारा दिनांक 10.06.20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ग्राम पंचायत मंजखेत** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

सरपंच

वन पंचायत मंजखेत

वि०ख०–थौलधार (टि०ग०)